

न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर

वाद संख्या: 23

अर्न्तगत धारा-411द0प्र0स0
ग्राम अतौला थाना बल्दीराय
जिला सुलतानपुर
श्रीरामजी विराजमान ।

विन्देश्वरी प्रसाद

वनाम

निर्णय

प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र प्रार्थी विन्देश्वरी प्रसाद आदि निवासी ग्राम अतौला थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर के द्वारा एस0डी0एम0 सदर सुलतानपुर के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 11/2003 धारा-145 द0प्र0स0 थाना बल्दीराय के विरुद्ध दायर किया गया है। प्रार्थी के द्वारा कहा गया कि उसे ज्ञात हुआ है कि एस0डी0एम0 सदर सुलतानपुर की पत्नी की विकेता प्रथम पक्ष की बहू डा0 नूतन श्रीवास्तव गोमती अस्पताल गोलाघाट सुलतानपुर कर चुकी है जिसके प्रभाव के कारण अवर न्यायालय प्रस्तुत वाद में न्याय करने को तत्पर नहीं है। तथा प्रथम पक्ष येन केन प्रकारेण वाद को जीवित रखकर द्वितीय पक्ष को क्षति कारित करने पर तुले है। यह भी कहा गया कि उसे उपजिलाधिकारी सदर सुलतानपुर के न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की सम्भावना क्षीर्ण हो चुकी है। इसी आधार पर उसके द्वारा सम्वन्धित पत्रावली किसी अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानांतरित किये जाने की याचना की गयी है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया। स्थानांतरण प्रार्थना पत्र में किसी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे कि पत्रावली के अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने का औचित्य स्थापित होता हो। तदनुसार प्रार्थी का स्थानांतरण प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दिनांक 6.1.2006 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

SD

(कामिनी चौहान रतन)
जिला मजिस्ट्रेट,
सुलतानपुर।
24.02.2006